मुझे आप पर भरोसा नहीं : केजरीवाल

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने खुद पैरवी करते हुए जज से मांगा रिक्यूजल

नई दिल्ली, 13 अप्रैल. दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को उस समय असामान्य स्थिति बन गई जब पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने खुद अपनी पैरवी करते हुए जज पर ही सवाल खड़े कर दिए.

शराब निति मामले से जुड़े केस में सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से खुद को मामले से अलग (रिक्यूजल) करने की मांग की. सुनवाई की शुरुआत सम्मानजनक माहौल में हुई, जहां केजरीवाल ने अदालत के प्रति सम्मान जताया, लेकिन जल्द ही उनका रुख सख्त हो गया. उन्होंने कहा कि उन्हें अदालत के कुछ पूर्व आदेशों और टिप्पणियों को लेकर गंभीर आशंकाएं हैं. केजरीवाल ने दलील दी कि न्याय केवल निष्पक्ष होना ही नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा दिखना भी चाहिए. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी पक्ष को न्यायाधीश पर संदेह हो, तो यह रिक्यूजल का आधार बन सकता है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा कि 9 मार्च को हुई सुनवाई में बिना दूसरे पक्ष को सुने और बिना विस्तृत बहस के अदालत ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को त्रुटिपूर्ण करार दे दिया.

उन्होंने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने 40 हजार पन्नों के दस्तावेजों और लंबी सुनवाई के बाद फैसला दिया था, जबकि हाईकोर्ट ने महज कुछ मिनटों में उस पर टिप्पणी कर दी. केजरीवाल ने कहा कि इस तरह की जल्दबाजी ने उनके मन में संदेह पैदा किया. उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था, लेकिन उनकी मांग खारिज कर दी गई, जिसके बाद उन्होंने औपचारिक रूप से रिक्यूजल याचिका दायर की.

> अपनी दलीलों में केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला दिया और कहा कि न्यायिक निष्पक्षता केवल वास्तविक ही नहीं, बल्कि दिखनी भी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी पक्ष के मन में जज को लेकर आशंका है, तो यह पर्याप्त आधार है कि जज स्वयं को उस मामले से अलग कर लें. उन्होंने दावा किया कि अदालत की पिछली टिप्पणियों से ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें भ्रष्ट या महाभ्रष्ट तक मान लिया गया है, जबकि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें आरोपमुक्त किया था.

गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर होगी उम्रकैद

चंडीगढ़, पंजाब सरकार ने सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र दौरान बेअदबी (अपवित्रता) के कृत्यों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान करने वाला 'जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026' पेश किया। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इसे न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक और समझौता न करने वाला कदम करार दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य बेअदबी के मामलों में सख्त, समयबद्ध कार्रवाई लागू करना और किसी भी प्रकार के समझौते की गुंजाइश को खत्म करना है। पंजाब विधानसभा में इस ऐतिहासिक विधेयक पर चर्चा शुरू करते हुए, श्री आनंदपुर साहिब के विधायक श्री बैंस ने सिख धर्मग्रंथों की पवित्रता की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता जतायी. उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि मैं आज केवल एक विधायक नहीं हूं। मैं उस धरती की आवाज़ हूं, जहां 327 साल पहले 13 अप्रैल के दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने ब्रह्मांड को खालसा भेंट किया था। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के इस कदम की तुलना पिछली सरकारों से करते हुए उन्होंने कहा कि कथित पंथिक सरकारें श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मान की रक्षा के लिए एक सख्त कानून बनाने में विफल रहीं, जबकि कुछ तो बेअदबी की दोषी भी रहीं और बाद में श्री अकाल तख्त साहिब में जाकर अपना गुनाह कबूला। हम साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और हमने कभी यहां पहुंचने की कल्पना नहीं की थी. आज इस सरकार के माध्यम से साहिब-ए-कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी स्वयं हमसे यह सेवा ले रहे हैं। उन्होंने इस विधेयक को एक व्यापक और दूरदर्शी कानून बताते हुए इसके प्रमुख प्रावधानों को रेखांकित किया.

पंजाब विस में संशोधन विधेयक पेश

यूएई के साथ व्यापारिक साझेदारी होगी मजबूत

अबू धाबी, 13 अप्रैल. भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रणनीतिक संबंधों को नई दिशा देने के उद्देश्य से एस जयशंकर ने हाल ही में अपना दो दिवसीय यूएई दौरा सफलतापूर्वक पूरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने यूएई के शीर्ष नेतृत्व के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लिया और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने पर जोर दिया.

▶ विदेश मंत्री एस. जयशंकर का यूएई दौरा संपन्न

एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो के फॉर्मेट में पोस्ट किया. इस दौरे के दौरान, डॉ. जयशंकर ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पर्सनल मैसेज उन्हें दिया. बातचीत में ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने, ट्रेड बढ़ाने और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर केंद्रित रहा. यह दौरा खाड़ी देशों से एनर्जी सप्लाई हासिल करने के लिए भारत की बड़ी कूटनीतिक कोशिशों के हिस्से के तौर पर हो रहा है. दो दिवसीय यात्रा पर गए जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मिलकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं.

> डॉ. जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ भी अलग से बातचीत की. दोनों नेताओं के बीच इस चर्चा में इलाके की स्थिरता और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के साथ-साथ इलाके में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिशों पर भी बात हुई.

ढोंगी बाबा अशोक खरात की संपत्तियों की जांच शुरू

मुंबई, 13 अप्रैल. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ढोंगी बाबा अशोक खरात की संपत्तियों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। पिछले कुछ दिनों से एक विशेष जांच दल इस मामले की गहनता से पड़ताल कर रहा है, जिससे खरात की कई कथित अवैध गतिविधियों का खुलासा हो रहा है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, अशोक खरात को तीसरे मामले में पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं, एक महिला के यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े चौथे मामले में एसआईटी द्वारा फिर से अदालत से उसकी पुलिस हिरासत की मांग किए जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट है कि ईडी के अधिकारियों ने

▶ ईडी की कार्रवाई

नासिक के ईशानेश्वर मंदिर स्थित खरात के कार्यालय के साथ-साथ विभिन्न स्थानों पर स्थित जमीनों का भी निरीक्षण किया है.

इस उद्देश्य के लिए एसआईटी अधिकारियों और ईडी की टीम ने एक संयुक्त अभियान शुरू किया है। अधिकारी वर्तमान में अशोक खरात की संपत्तियों का अनुमान लगा रहे हैं और उनके वर्तमान बाजार मूल्य का आकलन कर रहे हैं. इन संपत्तियों को हासिल करने के पीछे के मकसद की भी जांच की जा रही है. इसके अतिरिक्त, ईडी के अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि कुछ संपत्तियों में साझेदारों को क्यों शामिल किया गया था. बताया जा रहा है कि ईडी अधिकारी सील किए गए बैंक खातों में हुए लेन-देन की भी पड़ताल कर रहे हैं.

मोतिहारी में डीआरडीओ की मेगा प्रदर्शनी कल से

नई दिल्ली, 13 अप्रैल. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) 15 से 18 अप्रैल तक मोतिहारी के महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में मेगा प्रदर्शनी का आयोजन करेगा. इस प्रदर्शनी में देश की अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों, उन्नत प्रणालियों और 'आत्मनिर्भर भारत' के प्रयासों को प्रदर्शित किया जाएगा. कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद राधा मोहन सिंह द्वारा किया जाएगा. प्रदर्शनी की थीम 'शांति, सत्य और विज्ञान का संगम- सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत' रखी गई है. प्रदर्शनी में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, आकाश मिसाइल, आकाश-एनजी लॉन्चर, ब्रह्मोस, पृथ्वी, एंटी-सैटेलाइट मिसाइल, नाग एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल और प्रलय मिसाइल जैसे अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों के मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे. इससे लोगों को देश की रक्षा क्षमताओं को करीब से समझने का अवसर मिलेगा. इसके अलावा एडवांस्ड टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, अर्जुन एमबीटी, इंडियन लाइट टैंक और मॉड्यूलर ब्रिजिंग सिस्टम जैसी तकनीकों को भी प्रदर्शित किया जाएगा. अन्य सुरक्षा तकनीकों को भी प्रदर्शनी में शामिल किया गया है.

पश्चिम रेलवे - रतलाम मण्डल

ई-निविदा सूचना

निम्न कार्य के लिए मण्डल रेल प्रबंधक (संकेत एवं दूरसंचार) पश्चिम रेल्वे रतलाम द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से व उनके लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है। **निविदा संख्या: SnT_RTM_26_06_SIGNAL दिनांक: 10.04.2026 कार्य का नाम:** 10000 से अधिक एटीवीयू वाले एलसी गेटों के इंटरलॉकिंग के संबंध में सिग्नलिंग सामग्री की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग | (3 नग)। **कार्य की अनुमानित लागत: ₹1,82,29,884.14 बयाना राशि: 3,64,600.00 निविदा बंद करने का समय एवं दिनांक:** दिनांक 05/05/2026 समय 15.00 बजे तक | **निविदा खुलने का समय एवं दिनांक:** 05/005/2026 समय 15.30 बजे के बाद । **कार्य पूरा करने की अवधि:** 12 माह **निविदा अनुभाग कार्यालय प्रभारी और बोली खोलने का स्थान:** सीनियर डीएसटीई रतलाम, डीआरएम कार्यालय रतलाम मध्य प्रदेश. निविदा सिर्फ अनलाइन E-निविदा पोर्टल **www.ireps.gov.in** पर देखा व जमा किया जा सकता है। **V/538**

हमें लाईक करें:: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे - रतलाम मण्डल

वाणिज्य शाखा ई-नीलामी सूचना

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक - रतलाम मंडल पश्चिम रेलवे पार्किंग स्टेण्ड की ई-नीलामी आमंत्रित की है। केटलॉग को IREPS वेबसाइट ई-ऑक्शन पर प्रकाशित किया गया है, विवरण निम्न प्रकार से है। केटलॉग सं PARKING-RTM -2, अनुबंध का प्रकार पार्किंग स्टेण्ड, लॉट नं. **PARKING-RTM-MDS-FW- 84-26-1 (Mandsaur FW), PARKING-RTM-DADN-FW-59-24-1 (Dr. Ambedkar Nagar), PARKING-RTM-FTD-TW-44-23-1 (Fatehabad), PARKING-RTM-BCH-TW-40- 22-3 (Bercha), PARKING-RTM-NAD-MX-9-25-1 (Nagda Main Side), PARKING- RTM-DADN-MX-60-24-1 (Dr. Ambedkar Nagar)**, अनुबंध की अवधि 3 वर्ष ई-नीलामी की तिथि और समय सभी लॉट के लिए ई-नीलामी दिनांक **27.04.26** को 11:00 बजे प्रारंभ होगी। प्रारंभिक कुलिंग ऑफ अवधि 30 मिनट है । अनुक्रमिक लॉट को बंद करने का अंतराल 10 मिनट है | IREPS के ई-ऑक्शन मॉडयूल पर लॉटवाइज समापन समय देखा जा सकता है । **V/540**

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें:: x.com/WesternRly

नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम **कमलेश कुमार जैन** था एवं सभी व्यवहार इसी नाम से किया जाता था अब वर्तमान में मुझे **कमलेश जैन** के नाम से जाना जावे सभी वर्तमान दस्तावेज कमलेश जैन के नाम से ही उपयोग मे है।

कमलेश जैन
187 सेक्टर बी स्कीम न. 134, इन्दौर

भारतीय खाद्य निगम

क्षेत्रीय कार्यालय, चेतक भवन, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
दूरभाष: 0755-2573444, फैक्स : 0755-2573418, ईमेल: gmmp.fci@gov.in

क्र. एसएंडसी/13/एचटीसी/एनआईटी/2026/10 दिनांक: 14.04.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश क्षेत्र में जोखिम एवं खर्च पर नियमित हैंडलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए Government E Marketing Portal (URL:https://gem.gov.in) पर online प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है। निविदा के बारे में विस्तृत विवरण वेबसाइट www.fci.gov.in & www.gem.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत एनआईटी एवं एमटीएफ में देखा जा सकता है। किसी विवाद की स्थिति में निविदा आमंत्रण सूचना का अंग्रेजी रूपांतरण मान्य/वैध होगा।

महाप्रबंधक (क्षेत्र)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	100987719	संपत्ति के बदले ऋण	18.02.2026	4,24,100.82/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. राजपाल धुर्वे 2. अंजिला धुर्वे

संपत्ति का पता: मध्य प्रदेश-455336 के देवास जिले की तहसील खाटेगांव के अमेली गांव के वार्ड संख्या 2 में स्थित मकान संख्या 21 का पूरा भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 2453 वर्ग फुट है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में निजी रास्ता, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में रामभरोस धुर्वे का घर, दक्षिण में महेंद्र सिंह तोमर का घर।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	104171323	होम लोन	28.03.2026	6,74,495.61/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. विक्रम सिंह 2. शांता बाई

संपत्ति का पता: प्लॉट/मकान संख्या 91 का वह पूरा टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 130.06 वर्ग मीटर (1400.00 वर्ग फुट) है, जो खसरा संख्या 379 पर स्थित है, पटवारी हल्का संख्या 70, ग्रामः गुरड़िया गुर्जर, ग्राम पंचायतः गुरड़िया गुर्जर, तहसीलः घट्टिया, जिला: उज्जैन, मध्य प्रदेश-456550, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में सुरेश सिंह का मकान, पश्चिम में सामान्य सड़क, उत्तर में सुरेश सिंह का मकान, दक्षिण में इंदर सिंह का मकान।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक : 14.04.2026
स्थान : मध्यप्रदेश
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

यस बैंक लिमिटेड

YES BANK

शाखा कार्यालय: यस बैंक लिमिटेड, वार्ड नं.8, आरएम टॉवर म्यूनिसिपल नं.269 गोराकुण्ड चौराहा, राजवाड़ा के पास, महात्मा गांधी रोड़, इन्दौर (म.प्र.) 452001.

आधिपत्य सूचना [नियम - 8(1) अचल संपत्ति हेतु]

यस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अनुसरण में, नीचे विस्तार में वर्णित ऋणी को मांग सूचना पत्र जारी किया था जिसके तहत उक्त 13(2) धारा के अंतर्गत सूचना के प्राप्त होने की तिथि से **60 दिनों** के अंदर सूचना में वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था।

ऋणी द्वारा संपूर्ण धनराशि न चुकाए जाने पर, एतद्द्वारा ऋणी को एवं सामान्य रूप से जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उन्हें दिए गए अधिकारों के अनुसरण में यहाँ वर्णित संपत्ति का **कब्जा** ले लिया है।

ऋणी/सिक्योरिटी एवं आम जनता को इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे नीचे बताई गई प्रॉपर्टी के साथ कोई लेन-देन न करें और उक्त प्रॉपर्टी के साथ कोई भी लेन-देन बैंक के नीचे बताई गई रकम के चार्ज के अधीन होगा, साथ ही इसमें सभी अन्य बकाया रकम, जिसमें लागत, शुल्क, खर्च और उस पर लगने वाला ब्याज भी शामिल है।

विशेष रूप से ऋणी एवं सामान्य रूप से जनसाधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि संपत्ति के साथ किसी प्रकार का सौदा न करें एवं संपत्ति के साथ किसी प्रकार का सौदा यहाँ वर्णित राशि का उस पर अनुबंधित दर से ब्याज एवं लागत के भुगतान के साथ **यस बैंक लिमिटेड** को चुकाए जाने के अधीन किया जाएगा।

क्रं.	लोन नंबर	ऋणी/सह-ऋणी एवं बंधककर्ता का नाम/	बकाया राशि 13(2) नोटिस अनुसार	13 (2) सूचना दि. / कब्जे की दिनांक
1	SARFAESI _AFH0040 00848384	**1. कल्लू बुवाडे** (ऋणी / बंधककर्ता) एवं **2. बाली बुवाडे** (सह-ऋणी/बंधककर्ता)	**रु. 9,42,236.89/-** (रुपये नौ लाख बयालीस हजार दो सौ छत्तीस एवं उनब्बे पैसे मात्र) दिनांक 27 जून 2025 तक	26.06.2025 / 08.04.2026

बंधक संपत्ति का विवरण: प्लाट नं. 346 का दक्षिण भाग, कल्याण सम्पत ग्रीन्स ग्राम काली बिल्लोद, तह. देपालपुर जिला इन्दौर, इन्दौर मध्य प्रदेश 453001. **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - प्लाट नं. 319, पश्चिम - कॉलोनी की सड़क, उत्तर - प्लाट नं. 346 का शेष भाग, दक्षिण - प्लाट नं. 345

क्रं.	लोन नंबर	ऋणी/सह-ऋणी एवं बंधककर्ता का नाम/	बकाया राशि 13(2) नोटिस अनुसार	13 (2) सूचना दि. / कब्जे की दिनांक
2	SARFAESI _AFH0040 01577699	**1. राजेश मोहनिया** (ऋणी / बंधककर्ता) एवं **2. नेहा मोहनिया** (सह-ऋणी/बंधककर्ता)	**रु. 12,52,918.96/-** (रुपये बारह लाख बावन हजार नो सौ अठारह एवं छियान्वे पैसे मात्र) दिनांक 08 अक्टूबर 2025 तक	08.10.2025 / 08.04.2026

बंधक संपत्ति का विवरण: प्लाट नं. एलआईजी 45, महालक्ष्मी नगर कॉलोनी, ग्राम मगजपुरा, तहसील एवं जिला धार, मध्यप्रदेश, 454001. **प्लाट की चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - प्लाट नं. 44, पश्चिम - प्लाट नं. 46, उत्तर - प्लाट नं. 40, दक्षिण - कॉलोनी रोड़

हस्ते/-
प्राधिकृत अधिकारी
यस बैंक लिमिटेड

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 08.04.2026

कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

ida

7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर
जहाँ निरन्तर विकास ही लक्ष्य है

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक:58 / ई.टी./ 2026-27 **दिनांक : 10.04.2026**

:: निविदा आमंत्रण सूचना ::

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य की यह संक्षिप्त निविदा सूचना है, विस्तृत विवरण म.प्र. शासन वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र ऑनलाईन निर्धारित शुल्क भुगतान कर क्रय किये जा सकते है।

अ. क्र.	पोर्टल टेण्डर क्रमांक व दिनांक	कार्य का नाम	अर्नेस्ट मनी (रूपये में)	निविदा प्रपत्र शुल्क (रुपये में)	ऑनलाईन निविदा क्रय करने की अंतिम दिनांक (सांय 6.00 तक)
1	2026_DTCP _498212_1 07-04-2026	इन्दौर विकास प्राधिकरण के विभिन्न आयोजनों के लिये टेन्ट, स्टेज बैठक व्यवस्था, टेबल, कुर्सिया, सोफे, बेरीकेट्स, हार, फूल, बुके, स्टेज पर फूलों से संबंधित साज सज्जा एवं अन्य सम्बन्धित कार्य (द्वितीय आमंत्रण)	50000	5900	24-04-2026

नोटः- निविदा में भविष्य में किये जाने वाले समस्त संशोधनों को केवल विभागीय वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर ही अपलोड किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
इन्दौर विकास प्राधिकरण

ई-नीलामी बिक्री सूचना

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

CIN - U67100MH2007PLC174759
पंजीकृत कार्यालय : एडलवाइस हाउस, पहली मंजिल, ऑफ सी.एस.टी. रोड, कलीना, मुम्बई - 400098.

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के नियम 8(5) एवं (6) नियम 9(1) के अंतर्गत प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल प्रत्याभूत परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

असाइनर की वित्तीय सुविधाएं **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** को सौंपी गई हैं, जो दिए गए कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लिखित विभिन्न ट्रस्टों के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रही है। उक्त असाइनमेंट के अनुसरण में, **ईएआरसी** ने असाइनर के स्थान पर कदम रखा और सुरक्षित ऋणदाता के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग किया। **ईएआरसी** ने, सुरक्षित ऋणदाता के रूप में अपनी क्षमता में, सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) और उसके तहत नियमों के तहत नीचे उल्लिखित अचल सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। एतद्द्वारा नोटिस सर्व साधारण और विशेषकर कर्जदार और जमानती (ओं) को **15/30 दिन की सूचना** दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पक्ष में बंधक अधोल्लिखित अचल प्रत्याभूत परिसंपत्तियाँ जिनका **भौतिक कब्जा** प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी (एओ) द्वारा ले लिया गया है, **ईएआरसी** के देय नीचे वर्णित राशियों और इस पर आगे की ब्याज व अन्य व्यय/लागतों, घटाए कर्जदार और जमानती से **ईएआरसी** को प्राप्त कोई धनराशि, की वसूली के लिए **"जो है जहाँ है" और "जहाँ है, जैसी भी है" और "जो भी है"** आधार पर बिक्री की जायेंगी। प्रत्येक संपत्ति के लिए आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा नीचे वर्णित हैं। इस नोटिस को सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं नियम 9(1) के तहत बिक्री की सूचना के रूप में माना जाएगा ।

नीलामी के लिए रखीं प्रत्याभूत परिसंपत्ति का विवरण:

ऋण खाता सं./बिक्री संस्थान	कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम	ट्रस्ट का नाम	कुल बकाया राशि	आरक्षित मूल्य (रु. में)	अग्रिम जमा राशि ईएमडी (रु. में)	नीलामी तिथी व समय	कब्जे का प्रकार
20900041098/ 800012368 PIRAMAL	1) आरती अग्रवाल (ऋणी) 2) गोविंद अग्रवाल (सह-ऋणी)	EARC Trust SC-477	Rs.19,08,260.33 and Rs.11,78,545.42 दिनांक 10.04.2026 को	Rs. 8,00,000/-	Rs. 80,000/-	29.04.2026 at 02:30 PM	भौतिक

अचल संपत्ति का विवरण: संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश, फ्लेट नं.205, प्लाट नं. बी.19, एस.एस. एनक्लेव, ब्लॉक-ए, दूसरी मंजिल, समर्थ पार्क कॉलोनी, ग्राम-उमरिया, महू, इन्दौर, 454775, मध्यप्रदेश, माप 680 वर्गफीट सुपर बिल्टअप, 63.19 वर्गमीटर एवं **संपत्ति की सीमाएं:** पूर्वः प्लॉट नंबर बी-20, पश्चिमः फ्लैट नंबर 206, उत्तरः फ्लैट नंबर 204, दक्षिणः सड़क

ऋण खाता सं./बिक्री संस्थान	कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम	ट्रस्ट का नाम	कुल बकाया राशि	आरक्षित मूल्य (रु. में)	अग्रिम जमा राशि ईएमडी (रु. में)	नीलामी तिथी व समय	कब्जे का प्रकार
III00667N/ Indusind Bank Limited	मेसर्स आर्शीवाद प्लायवुड (ऋणी), श्री दिलीप कुमार (सह-ऋणी/बंधककर्ता) एवं श्रीमती प्रिती दिलीपकुमार मगलानी (सह-ऋणी)	EARC-Trust SC-414	Rs. 82,50,460.00/- दिनांक 10.04.2026 को	Rs. 22,00,000/-	Rs. 2,20,000/-	29.04.2026 दोप. 3.00 बजे	भौतिक

अचल संपत्ति का विवरण: युनिट नं. एलजी-8, नीचली तल मंजिल, सुपर बिल्ट अप क्षेत्र 484 वर्गफीट, हाईवे टॉवर, भूमि सर्वे नं. 46/1/1 & 46/1/2, के परिवर्तित भाग पर, ग्राम चितावद, इन्दौर 452001.

ऋण खाता सं./बिक्री संस्थान	कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम	ट्रस्ट का नाम	कुल बकाया राशि	आरक्षित मूल्य (रु. में)	अग्रिम जमा राशि ईएमडी (रु. में)	नीलामी तिथी व समय	कब्जे का प्रकार
XMHDINR0 0071039 / RELIGARE	1) उज्जवल सिंह (ऋणी), 1) कल्पना सिंह (सह-ऋणी), 3) चंचल सिंह (सह-ऋणी)	EARC Trust SC - 421	Rs. 20,46,371.32/- दिनांक 10.04.2026 को	Rs. 7,60,000/-	Rs. 76,000/-	30.04.2026 दोप. 2.00 बजे	भौतिक

अचल संपत्ति का विवरण: फ्लेट नं. 102 के समस्त भाग एवं अंश, दीपशिखा अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर, ब्लॉक ए शिक्षक नगर, स्कीम नं. 03, पदमालय कॉलोनी, जो कि प्लाट नं. 74, शिक्षक नगर, पदमालय कॉलोनी छोटा बांगड़दा इन्दौर मध्यप्रदेश स्थित है। माप 405 वर्गफीट अर्थात 37.63 वर्गमीटर एवं **संपत्ति की सीमाएं:** पूर्वः प्लॉट नंबर 75, उत्तरः कॉलोनी रोड़, पश्चिम : प्लाट नं. 73, दक्षिणः विद्या पैलेस प्लाट

ऋण खाता सं./बिक्री संस्थान	कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम	ट्रस्ट का नाम	कुल बकाया राशि	आरक्षित मूल्य (रु. में)	अग्रिम जमा राशि ईएमडी (रु. में)	नीलामी तिथी व समय	कब्जे का प्रकार
'SHLHINDR0001150 /Truhome Finance Limited	1. अविनाश शर्मा (ऋणी), 2. सीमा शर्मा (सह-ऋणी)	EARC Trust SC - 473	Rs. 41,87,714.32 दिनांक 08.04.2026 को	Rs. 38,00,000/-	Rs. 3,80,000/-	19-05-2026 दोप. 2.00 बजे	भौतिक

अचल संपत्ति का विवरण: मकान नं. 430 के समस्त भाग एवं अंश, श्याम नगर कॉलोनी, सुखलिया, इन्दौर, मध्य प्रदेश -452010, माप कुल क्षेत्रफल 55.66 वर्गमीटर एवं **संपत्ति की सीमाएं:** पूर्वः प्लाट नं. 431, पश्चिम : प्लाट नं. 429, उत्तर : प्लाट नं. 465, दक्षिणः रोड़

नीलामी प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी:

1.	ईएमडी डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) **"एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड - ईएमडी अकाउंट"** के पक्ष में मुंबई में देय होगा।	
2.	आरटीजीएस के माध्यम से किये गए ईएमडी भुगतान निम्नलिखित खाते में होंगे: खाता का नाम: **"एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड - ईएमडी खाता"** खाता संख्या: 000405158602; **बैंक का नाम** -आईसीआईसीआई बैंक लि.; **आईएफएससी कोड:** IFSC ICIC0000004	
3.	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व तक प्राप्त किए जायेंगे।
4.	बोली जमा करने का स्थान	रिटेल सेन्ट्रल ऑफिस, मुम्बई (ऊपर दर्शाये गये पते पर)
5.	नीलामी का स्थान (नीलामी हेतु वेबसाईट)	ई-नीलामी **(https://auction.edelweissarc.in)**
6.	संपर्क विवरण	टोल फ्री नंबर : **1800 266 6540**
7.	संपत्ति के निरिक्षण की तिथि एवं समय	पूर्व समयादेशानुसार

बिक्री के विस्तृत नियम व शर्तों के लिए कृपया ईएआरसी की वेबसाइट अर्थात **https://auction.edelweissarc.in** पर दिया लिंक देखें।

दिनांक : 14.04.2026
स्थान : मुम्बई

प्राधिकृत अधिकारी
वास्ते एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

Edelweiss Asset Reconstruction

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

TATA

पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल मुंबई - 400013. CIN No. U67190MH2008PLC187552. Contact No. (022) 61827414, (022) 61827375
शाखा कार्यालय : तीसरी मंजिल, यूनिट नं. 301, एनआरके टेक पार्क, प्लॉट नं. 9/सी/सीए, स्कीम नं. 94 रिंग रोड, रेडिसन चौराहे के पास, इन्दौर-452010 (म.प्र.)

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्तियों के लिये)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के परिशिष्ठ IV सपठित नियम 8(1) के अंतर्गत)

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) सपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न ऋणी (यों) से नीचे उल्लेखित सूचना प्राप्ति दिनांक से 60 दिन के अंदर ऋण राशि अदा करने की मांग की गई थी।

ऋणी (यों) द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, ऋणी (यों) को विशेष रूप से आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे ऋणी (यों) ने **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास** द्वारा नीचे उल्लेखित सी.सी. नंबर में पारित आदेश के मद्देनजर न्यायालय आयुक्त/तहसीलदार के माध्यम से यहां वर्णित संपत्ति का **भौतिक कब्जा** ले लिया है और उक्त तहसीलदार ने नीचे हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी को **भौतिक कब्जा** सौंप दिया है।

ऋणी(यों) को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इन सम्पत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार न करें और यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के ऋणी(यों) के समक्ष नीचे दर्शाई गई मांग सूचना दिनांक से ब्याज एवं दण्ड ब्याज, खर्चे, लागत अन्य के अधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋण खाता क्रं.	बाध्यताधारीयों/ कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों के नाम	मांग सूचना अनुसार राशि	मांग सूचना दि. / कब्जा दिनांक	आदेश दिनांक केस नं.
TCHHF0284000100180494 & TCHHL0284000100179999 & TCHIN0284000100182269 & TCHIN0284000100242408	श्री बलवंत वर्मा (ऋणी), श्रीमती घामा बाई (सह-ऋणी)	Rs.3,47,945/-, Rs.11,49,816/- & Rs.72,339/- & Rs.1,53,547/-	10-10-2025 / 10-04-2026	17-03-2026 0501/B-121/ 2025-26

सुरक्षित परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों का विवरण : अचल संपत्ति के शेष एवं संपूर्ण भाग, उत्तर से दक्षिण प्लॉट नं. 136-ए/1, रॉयल टाउन, ग्राम महूगाँव, तहसील महू, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश, क्षेत्रफल 450 वर्गफीट अर्थात 41.82 वर्गमीटर, **चर्तुःसीमाः-** पूर्वः इस प्लॉट का शेष भाग, पश्चिमः रोड, उत्तरः प्लॉट नं. 137-ए, दक्षिणः इस प्लॉट का शेष भाग

दिनांक : 10.04.2026
स्थान : इंदौर (म.प्र.)

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
वास्ते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

TATA

पंजी. कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोवर परेल मुम्बई - 400 013. संपर्क (022) 66069383
शाखा कार्यालय : तीसरी मंजिल, युनिट नं. 301, एनआरके टेक पार्क, प्लाट नं. 9/सी/सीए, स्कीम नं. 94, रिंग रोड़, रेडीसन चौराहे के पास, इन्दौर म.प्र.-452010.

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रत्यावर्तन) नियम, 2002("नियम") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के अधीन

जैसा कि **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (टीसीएचएफएल) के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन और नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए विवरण अनुसार इसमें सूचीबद्ध कर्जदारों/ सह कर्जदारों/गारंटरों (सभी को अकेले या एक साथ "बाध्यताधारी" कहा गया है) /कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों को संबंधित नोटिसों की तिथियों से 60 दिन के अंदर मांग सूचना मे निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने की अपील करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन विस्तृत मांग सूचना दिनांक जारी किए गए थे. कथित सूचना की प्रतियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा तामील की गई हैं और अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं और यदि कथित बाध्यताधारी/ कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि चाहें तो किसी भी कार्यालयीन दिवस को सामान्य कार्यावधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते है।

उपर्युक्त संबंध में एतद द्वारा कथित बाध्यताधारीयों/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों को एक बार पुन: सुचित किया जाता है कि कथित बाध्यताधारियों द्वारा निष्पादित ऋण के करार एवं अन्य दस्तावेजों /विलेखों के साथ पठित नीचे कॉलम (डी) में संबंधित तिथि से भुगतान और/या वसुली की तिथि तक आगामी ब्याज सहित इसमें उनके संबंधित नामों के समक्ष निर्दिष्ट राशि संबंधित सूचना की तिथियों से 60 दिन के अंदर टीसीएचएफएल को भुगतान करें. कथित बाध्यताधारियों द्वारा निम्नलिखित सुरक्षित आस्तियां कर्ज के देय भुगतान की सुरक्षा के रुप मे टीसीएचएफएल के लिए गिरवी रखी गई है।

क्रं.	ऋण खाता क्रं.	बाध्यताधारीयों/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों के नाम	कुल बकाया देय (रु.)	डिमांड नोटिस की तिथि एवं एनपीए की तिथि
1	TCHHL028400 0100401313 & TCHIN0284000100401642	**श्री जीवन चौधरी** (ऋणी) **श्रीमती श्वेता चौधरी** (सह-ऋणी)	Rs. 38,72,404/- & Rs. 2,04,789/-	04-04-2026 & 03-04-2026

सुरक्षित संपत्ति का विवरण: अचल संपत्ति के शेष एवं संपूर्ण भाग **संपत्ति 1:** प्लॉट नं. 266, "देवास लाइफ स्टाइल" माँ कमला नगर के पास, ग्राम नागुखेड़ी, प.ह.न. 00002 (पुराना 33) (सरल नं. 1699) तहसील एवं जिला देवास, कुल प्लॉट का क्षेत्रफल 77.69 वर्गमीटर (836.255 वर्गफीट) **चर्तुःसीमाः** पूर्वः कॉलोनी रोड, पश्चिमः अन्य भूमि, उत्तरः प्लॉट नं. 265, दक्षिणः प्लॉट नं. 267 **संपत्ति 2:** प्लॉट नं. 268 "देवास लाईफ स्टाइल" माँ कमला नगर के पास, ग्राम नागुखेड़ी स्थित, प.ह.न. 00002 (पुराना 33) (सरल नं. 1699) तह.एवं जिला देवास कुल प्लॉट का क्षेत्रफल 79.815 वर्गमीटर (859.12 वर्गफीट), **चर्तुःसीमा:-** पूर्वः कॉलोनी रोड, पश्चिमः अन्य भूमि, उत्तरः प्लॉट नं. 267, दक्षिणः प्लॉट नं. 269

क्रं.	ऋण खाता क्रं.	बाध्यताधारीयों/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों के नाम	कुल बकाया देय (रु.)	डिमांड नोटिस की तिथि एवं एनपीए की तिथि
2	TCHHL0284000100329957 & TCHIN0284000100330501	**श्री पंकज मिश्रा** (ऋणी) **श्रीमती गायत्री मिश्रा** (सह-ऋणी)	Rs. 9,77,970/- & Rs. 5,68,93/-	04-04-2026 & 03-04-2026

सुरक्षित संपत्ति का विवरण: फ्लैट नं. एम-आई/264, एमआईजी, तीसरी मंजिल, "अयोध्या नगरी" स्टेडियम ग्राउंड नंदा नगर इन्दौर (म.प्र.) सुपर बिल्टअप एरिया 29.09 वर्गमीटर **चर्तुःसीमा:-** पूर्वः मकान नं. एम-268, पश्चिमः सीढ़ियाँ, उत्तरः रोड, दक्षिणः खुला

*संबंधित मांग सूचना दिनांक में विशेष रुप से निदिष्ट दर पर आगामी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अदायगी और/या वसूली की तिथि तक उठाया गया आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क इत्यादि. यदि जैसा की ऊपर कहा गया है कथित बाध्यताधारी टीसीएचएफएल को भुगतान नहीं करेंगे तो टीसीएचएफएल खर्च एवं परिणाम के रूप में पूरी तरह से कथित बाध्यताधारीयों/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों के जोखिम पर कथित अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अधीन उपर्युक्त सुरक्षित आस्तियों/अचल संपत्तियों के लिए कार्यवाही करेगा। कथित बाध्यताधारी/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपर्युक्त सुरक्षित आस्तियों/अचल संपत्तियो को बिक्री, पट्टा या अन्य किसी भी रुप में हस्तांतरित करने के लिए कथित अधिनियम के अधीन प्रतिबंधित हैं। अधिनियम के प्रावधानों या उसके अधीन बने नियमों का उल्लंघन या उल्लंघन करने के लिए उकसाने वाला व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत यथा विहित सजा और/या दंड का पात्र होगा।

हस्ता./-
दिनांक : 14.04.2026
स्थान : इन्दौर
प्राधिकृत अधिकारी
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड